सत्यमेव जयते
Government of India

कार्यालय राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना समिति, जबलपुर

817,एस.बी.आई.बैंक के पीछे स्कीम क्र.5 विजय नगर जबलपुर (म.प्र.), 482002
: 0761 –4035316 Email:pdindusjabalpur@yahoo.com
(भारत शासन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय परियोजना)

क्रमांक :– ज.सं. / रा.बा.श्र.प / 2021 / जबलपुर,दिनॉक : 03 / 03 / 2021

जबलपुर जिले में बालकामगारों के सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित

––00––

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनान्र्तगत जबलपुर जिले में शिक्षा से वंचित एवं शिक्षा प्राप्त किये जाने की अवस्था में, विभिन्न इकाइयो जैसे– होटल, गैराज, कारखाना, दुकान, ईट भट्टा, बीडी, अड्डा कढाई, चाय–पान ठेला, स्वरोजगार (पन्नी,कबाड बीनना) भिक्षा वृत्ति आदि कार्य में (श्रम) से संपृक्त बच्चे जिनकी आयु 9 से 13 के मध्य हो, को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मापदंडो से 15 दिवस की समय–सीमा में 2000 बच्चों को फोटो एवं परिपत्र (फार्म) सहित चिन्हित किये जाकर, संपादित किये जाने हेतु प्रस्ताव, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालय जिसमें समाजशास्त्र विभाग के द्वारा / शासकीय इकाई / शासन से मान्यता प्राप्त कोई प्रमाणिक इकाईं जिसे सर्वेक्षण कार्य का गहन अनुभव हो से प्रस्ताव आमंत्रित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अपर कलेक्टर (विकास)
जिला पंचायत
जबलपुर (म.प्र.)

1. कलेक्टर / अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं वांछित कार्यवाही हेतु।
3. परियोजना निदेशक, रा.बा.श्र.परियोजन जिला–जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अपर कलेक्टर (विकास)
जिला पंचायत
जबलपुर (म.प्र.)

कार्यालय राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना समिति, जबलपुर

817,एस.बी.आई.बैंक के पीछे स्कीम क्र.5 विजय नगर जबलपुर (म.प्र.), 482002

: 0761 –4035316 Email:pdindusjabalpur@yahoo.com

(भारत शासन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित केन्द्रीय परियोजना)

सत्यमेव जयते
Government of India

जबलपुर जिले में बालकामगारों के सर्वेक्षण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय जिसमें समाजशास्त्र विभाग के द्वारा/शासकीय इकाई/शासन से मान्यता प्राप्त कोई प्रमाणिक इकाईं जिसे सर्वेक्षण कार्य का 7 वर्षों का गहन अनुभव हो के द्वारा उपरोक्त कार्य संपादन के आवश्यक शर्ते निम्नवत् है–

1. चिन्हित बालकामगार के पारिवारिक पृष्ठभूमि सहित विभिन्न तथ्यों जिनमें मुख्यतः बीपीएल/एपीएल/श्रमिक कार्ड/अन्य शासकीय योजना से लाभान्वित होने संबंधी जानकारी संकलन किया जाना होगा।
2. सर्वेक्षण दौरान सक्रिय बालकामगारों के संदर्भ में उनके नियोजन के कारण/नियोक्ता की संपूर्ण जानकारी संकलित करना होगा।
3. सर्वेक्षण कार्य के दौरान ऐसे बच्चे जो कि स्थानीय शाला में दर्ज है किंतु नियमित नही है,(ड्रॉपआउट) एवं अंशतः श्रम में लिप्त है, संबंधी जानकारी संकलित करना होगा।
4. तय एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य के दौरान विभाग द्वारा अकस्मात/आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण का सत्यापन किया जा सकता है, जिसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की गडबडी/अनियमितता होने की दशा में एजेंसी के विरूध्द विधिसंगत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
5. सर्वेक्षण कार्य के संबंध में विभाग द्वारा तय एजेंसी को भुगतान तीन किश्तों में की जाएगी, प्रथम किश्त में 25 प्रतिशत, सर्वेक्षण संबंधी फार्म/वांछित जानकारियों के संपादन उपरांत 25 प्रतिशत एवं अंतिम किश्त सर्वेक्षण कार्य के संपादन एवं अंतिम प्रतिवेदन जो कि तीन प्रतियों के साथ सॉफ्ट कापी में भी उपलब्ध करना होगा।
6. उपरोक्त कार्यसंपादन के संदर्भ में किसी संशोधन/फेरफार की दशा में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर का होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अपर कलेक्टर (विकास)
जिला पंचायत
जबलपुर (म.प्र.)